राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 270/2025

सुनिल कुमार विश्नोई **–अपीलार्थी**

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जालौर, राजस्थान।
3. तहसीलदार, तहसील बागोड़ा, जालौर, राजस्थान

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025
आदेश की दिनांक : 29.01.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर एलआरसी, तहसील कार्यालय, तह. बागोड़ा, जिला जालौर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नलक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण पटवार मण्डल, राऊता, तहसील बागोडा से पटवार मण्डल वणधर तह. रानीवाड़ा किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से कथन है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान का गलत दर्शाते हुए पटवार मण्डल, राऊता, तहसील

बागोडा अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी एलआरसी, तह. कार्यालय, तह. बागोड़ा में कार्यरत है। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी पटवार मण्डल, राउता, तह. बागोड़ा में पदस्थापित नहीं है, बल्कि अपीलार्थी एलआरसी, तहसील कार्यालय, तह. बागोड़ा, जिला जालौर में कार्यरत है।
4. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पाते हैं कि आदेश दिनांक 15.01.2025 में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान गलत दर्शाया गया है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया है।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यक होने पर नये सिरे से स्थानांतरण आदेश पारित/संशोधन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। जब तक अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति स्थगित रहेगी।
6. उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)